



Neutral Citation No.-2026:AHC:6945

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-10997 वर्ष 2025

शांति देवी आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: हृदयी नारायण शर्मा, केशव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन को दबाने के लिए आवेदक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। अपर शासकीय अधिवक्ता मौजूद है। इन परिस्थितियों में, मैंने स्वयं अभिलेख का अवलोकन किया है।
3. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक द्वारा 2017 के अपराध संख्या-195 (2017 के सत्र विचारण संख्या-579) में धारा 302 भ०द०वि०, थाना-थरवई, ज़िला: इलाहाबाद/प्रयागराज के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. आवेदक की ओर से यह तीसरी ज़मानत याचिका है। इस न्यायालय द्वारा पहली और दूसरी ज़मानत याचिकाओं को क्रमशः 2022 के आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-13243 और 2024 के 7562 में पारित दिनांक 9.5.2023 और 22.8.2024 के आदेशों द्वारा खारिज कर दिया गया था।
5. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति मांगी थी। दिनांक 8.1.2026 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई हैं और निर्णय सुरक्षित है। निर्णय सुनाने की तिथि 14.1.2026 निर्धारित की गई है।

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक ने मामले को आगे बढ़ाने में रुचि खो दी है। इसलिए, समय के प्रवाह से, ऐसा लगता है कि यह निष्फल हो गया है।

7. इन परिस्थितियों में, आवेदक को ज़मानत देना समीचीन नहीं है। ज़मानत आवेदन योग्यता से रहित पाया जाता है और तदनुसार, इसे निष्फल के रूप में **खारिज** किया जाता है।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 12, 2026

विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)